

Proposal for diversion of 12.44 ha. Forest land Godda Forest Division for Construction in favour of building & boundary of Godda College, Godda (Est. In 1954 at the same land concerned). Project.

Part-III

(To be filled up by the concerned Conservator of Forests)

14. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/NO). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.

No.

15. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.


Yes.


16. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

This proposal is for expansion of Godda College, Godda (run by state government) which was established in the year 1954. Godda district is inhabited by extremely backward castes, scheduled castes, scheduled tribes and PVTGs (particularly vulnerable tribal groups). These are educationally and economically backward sections of the society, who cannot afford education in private colleges or colleges outside their native district.

Today with changing times, higher education has become the need of the hour, and with consistent rise in population, colleges need bigger and better infrastructure to cater to the need of students. Thus, in the interest of good quality, local and state-sponsored education, this project is being recommended.

Seal.....
Place: Dumka.


Conservator of Forests,
Territorial Circle, Dumka.
S. C. Rai I.F.S.
Conservator of Forests
Territorial Circle, Dumka



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका।

संयुक्त वन भवन, खूंटाबांध, दुमका-814101

Mob: -9006773165

Email -cf-dumka@gov.in

पत्रांक- 428

दिनांक-27/5/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- Diversion of 12.44 ha of forest land in favour of building & boundary of Godda College, Godda (Est. in 1954 at the same land concerned.) वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल का पत्रांक-637 दिनांक-12.05.2023 एवं पत्रांक-687 दिनांक-27.05.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) से वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा गोड्डा कॉलेज, गोड्डा से संबंधित परियोजना हेतु कुल-12.44 हे० वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव ऑनलाईन तथा हार्ड कॉपी की 08 (आठ) प्रतियों में इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आधार पर वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

1. यह परियोजना गोड्डा वन प्रमंडल अंतर्गत अवस्थित है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति एवं रकवा निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	वनभूमि (PPF) का रकवा (हे०में)	वनस्पति घनत्व
1	2	3	4
1	गोड्डा	12.44	0.2

3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकवावार संलग्न है।
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट-11 में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
6. टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर कॉलेज का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
9. प्रस्तावित कॉलेज में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या-881 है, जिसकी मार्किंग सूची संलग्न है।
10. इस परियोजना में प्रयुक्त 12.44 हे० (PPF) वनभूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, गोड्डा एवं आयुक्त, दुमका द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गोड्डा उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV & CA की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

13. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल-24.88 हे0 GM Khas land का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित GM Khas land का रकवा (हे0में)
1	2	3	4	5	6
1	गोड्डा	शीरीआ	181	317, 65	24.88

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा, DGPS Map, KML file वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।


14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी ब्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित वनभूमि वर्तमान गोड्डा कॉलेज से सटा है तथा शहर के पास है, जिसके चलते वन्यप्राणी का आवागमन ना के बराबर है। अतः इसमें वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

15. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

16. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Timeline इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की सात (05) प्रतियाँ मूल रूप में सभी अनुलग्नकों सहित संलग्न अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपकी विश्वासी,

 वन संरक्षक,
 प्रादेशिक अंचल, दुमका।